कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बुलन्दशहर।

पत्रांक 12508–09 /2015–16 दिनांक 2/3/16

विज्ञप्ति

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 2651(1)/79–5–12–1(04)/13 दिनांक 11 जुलाई,2013 शासनादेश संख्या 3227/79–5–2013–1(4)/13 दिनांक 23 अगस्त,2013 एवं शासनादेश संख्या 2149/79–5–2014/दिनांक 30 जून,2014 तथा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के पत्रांक: बे0शि0प0/20189–368/2015–16 दिनांक 26.02.2016 के अनुक्रम में जनपद बुलन्दशहर हेतु गणित/विज्ञान विषय हेतु कुल निर्धारित 548 रिक्त पदो के सापेक्ष विज्ञान विषय के अवशेष 12 अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों हेतु यू0पी0 टी0ई0टी0 में 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जांच सूची निर्गत की जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों के चयन/नियुक्ति हेतु निर्गत कटऑफ मेरिट जांच सूची एवं काउन्सिलिंग सम्बन्धी निर्देश आदि का विवरण http://bulandshahr.nic.in/पर क्लिक करके देखी जा सकती है। जांच सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी निम्न विवरणानुसार मूल अभिलेखों की जांच हेतु प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

वर्ग/श्रेणी	कट्ट ऑफ मेरिट		काउन्सिलिंग तिथि	काउन्सिलिंग स्थल
विशेष आरक्षण	विज्ञान	गणित		
1.दृष्टिबाधित विकलांग	—	—	दिनांक 08.03.2016 एवं दिनांक 09.03.2016 को विज्ञान विषय समस्त महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग की जायेगी	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बुलन्दशहर
2.श्रवण बाधित विकलांग	—	—		
3.चलनक्रिया विकलांग	—	—		
4.स्व0सं0से0 आश्रित	—	—		
5.भूतपूर्व सैनिक	—	—		
विशेष आरक्षण से भिन्न				
सामान्य जाति	—	—		
अनुसूचित जाति	—	—		
अनुसूचित जनजाति	49.63	—		
अन्य पिछड़ी जाति	—	—		

नोट:– यहां यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में अनुसूचित जनजाति विज्ञान विषय के अतिरिक्त किसी भी वर्ग/श्रेणी में कोई रिक्त पद अवशेष नहीं है।

1. निर्गत जांच सूची में सम्मिलित होने मात्र से अभ्यर्थी द्वारा चयन/नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो कतिपय कारणों से अनन्तिम चयन सूची में स्थान नहीं पाते हैं वे अपने मूल अभिलेख के साथ किसी अन्य जनपद की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. किसी भी दशा में अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित होने के पश्चात् अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख किसी अन्य जनपद में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रदान नहीं किये जायेगें।
4. उपरोक्त समस्त अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के उपरोक्त समय/तिथि को अपने ई–आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में रू0 10/– के नॉनजूडिशीयल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र चयन समिति के समक्ष काउन्सिलिंग के समय उपलब्ध करायेगें।
5. काउन्सिलिंग के समय समस्त मूल अभिलेखों के साथ 6–8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र,आरक्षण वर्ग,विशेष आरक्षण,निवास,ई–आवेदन पत्र,ई–चालान, फोटो आई0डी0,दो फोटो अपने साथ एवं उपरोक्त सभी की दो सैटों में स्वः प्रमाणित छायाप्रति काउन्सिलिंग में अपने साथ लेकर उपस्थित होगें।

सदस्य सचिव/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–बुलन्दशहर।

Genral Latter 1